

संचालनालय पशुपालन कामधेनु भवन, वैशाली नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक 6976.. / स्था.ब / ए.व्ही.एफ.ओ. / स्थानान्तरण / 2019

भोपाल, दिनांक 05-07-2019

// आदेश //

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 में निहित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कॉलम क्र.-4 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थानान्तरित कर पदस्थ किया जाता है-

क्र	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	4	5
1	श्री रविन्द्र कुमार द्विवेदी	पशु चिकित्सालय चार शहर का नाका ग्वालियर	पशु औषधालय पुलावली जिला-भिंड	प्रशा.
2	श्री बद्री प्रसाद गौतम	प.औष.अजयगढ़ नरदहा जिला पन्ना	पशु औष.गुहीसर जिला-भिंड	प्रशा.
3	श्री अमर सिंह भील	पशु चिकित्सालय सोयत जिला आगर मालवा	गौ अभ्यारण सुसनेर जिला आगर मालवा	प्रशा.
4	श्री मुन्नालाल	बरेतीकलॉ जवा जिला रीवा	पशु चिकित्सालय असवार जिला भिण्ड	प्रशा.
5	श्री वीरेन्द्र साकेत / चर्मकार	पशु औषधालय पटेहरा / कृ.गा. उपकेन्द्र अम्बा जिला रीवा	पशु चिकित्सालय आलमपुर जिला भिण्ड	प्रशा.
6	श्री विनोद सिंह	प. चि. बहुती / केवटी जिला रीवा	पशु चिकित्सालय एण्डोरी जिला भिण्ड	प्रशा.
7	श्री रमाकान्त मिश्रा	कृ.गा. उपकेन्द्र सगरा जिला रीवा	पशु चिकित्साल इदुर्खी जिला भिण्ड	प्रशा.
8	श्रीमती प्रीति आर्य	संयुक्त संचालक प.चि. से. जबलपुर	पशु चिकित्सालय बरगी जबलपुर जिला जबलपुर	प्रशा.

टीप:- स्थानान्तरित कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-6-1/2019/एक /9, भोपाल दिनांक 04.06.19 की कण्डिका-14, 15, 15(1) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि दो सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण क्रियान्वित होना माना जावेगा, एवं कण्डिका-16 अनुसार स्थानान्तरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा।

(डॉ.आर.के.रोकडे)


संचालक

पशुपालन म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक. 6977 /स्था.ब/लिपिक/स्थानांतरण/2019 भोपाल, दिनांक 05-07-2019

प्रतिलिपि:—निम्नांकितो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी पशुपालन विभाग भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग म.प्र.।
4. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला म.प्र.। स्थानान्तरण नीति वर्ष 2019-20 में दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
5. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं संभाग/जिला..... म.प्र.


संचालक
पशुपालन म.प्र. भोपाल
lh